तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/77/2004/धौलपुर** **नहने बनाम गोरे**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री माघवराजसिंह, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः 18.01.2022**

हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी के प्रकरण संख्या 38/2002 आदेश दिनांक 13–11–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 ल0 5 ने विद्वान सहायक कलक्टर, बसेड़ी के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी जीवाराम की खातेदारी की आराजी थी जिनके चार पुत्र दुर्गा, भूरी, वगर व नहने वादीगण दुर्गा के पुत्र थे। वादीगण आधे हिस्से के खातेदार हैं। अतः वादीगण को आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर दावे के कथनों से इन्कार करते हुए वाद निरस्त करने का निवेदन किया। दौराने वाद प्रतिवादी/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) जा0दी0 प्रस्तुत किया जिस पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13–11–2003 को प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिस आदेश दिनांक 13–11–2003 से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया कि जीवाराम का जो सजरा वादीगण ने प्रस्तुत किया है जिसे प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया व कथन किया कि दुर्गा नाम का कोई पुत्र जीवाराम नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/77/2004/धौलपुर** **नहने बनाम गोरे**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

था व ना ही वादीगण जीवाराम के पौते हैं व इस तथ्य को स्पष्ट करने हेतु स्वयं गोरे द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 1–5–2003 की सत्य प्रतिलिपि वादीगण के असत्य कथनों को स्पष्ट करने हेतु प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो दावा प्रस्तुत करने के बाद की थी जिससे प्रार्थी यह स्पष्ट करना चाहता था कि वह दुर्गा का पुत्र नहीं होकर गंगाराम का पुत्र है जिसका जीवाराम के खानदान से कोई भी संबंध नहीं है व इसी प्रकार अन्य वादीगण जो कि अपने आपको गोरे का भाई बता रहे हैं, उनका भी जीवाराम की सम्पति में कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बयनामें की सत्यप्रतिलिपि को रेकार्ड पर लिया जाना अत्यावश्यक था किन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने गलत तौर पर यह लिखते हुए कि उक्त दस्तावेज से गोरे की वल्दियत गंगा राम साबित करना प्रार्थी चाहता है जबकि गोरे की वल्दियत बाबत् वादी का कोई विरोध नहीं है। अतः उक्त विक्रय पत्र को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का दूसरा दस्तावेज जो कि उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी के न्यायालय में विचाराधीन वाद की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें भी गोरे की वल्दियत दर्ज नहीं है व उक्त नकल प्रमाणित प्रतिलिपि है जिससे प्रार्थी अपने कथन की पुष्टि करना चाहता है। अतः दोनों दस्तावेज जो दावा प्रस्तुत करने के बाद के हैं, उन्हें रेकार्ड पर लेना अत्यावश्यक था किन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने गलत तौर पर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है। अन्त में प्रार्थी/निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2003 निरस्त किया जावें व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाकर साक्ष्य में पढ़ा जावें।

5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है। इसलिए परीक्षण न्यायालय का आदेश उचित होने से प्रार्थी/निगराकार की निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/77/2004/धौलपुर** **नहने बनाम गोरे**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी द्वारा दिनांक 13–11–2003 को आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सी0पी0सी0 मय कोस्ट खारिज किया जाता है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान निगराकार/प्रार्थी दावे में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 24.9.2003 को प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जावे । जिसका जवाब अप्रार्थी/वादी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वकील प्रतिवादी प्रकरण को जानबूझकर डिले करना चाहते है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2003 में अंकित किया है कि ''प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने का मकसद प्रार्थी वकील अनुसार गोरे की वल्दियत गंगाराम साबित करना है । इस प्रकरण में गोरे की वल्दियत दुर्गा होना या गंगाराम होना विवादास्पद नहीं है । यहॉ तक कि प्रतिवादी ने जवाबदावा की मद संख्या 8 में वादीगण की वल्दियत दुर्गा होना नहीं माना है । प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा की मद संख्या 2 में दुर्गा को जीवाराम का पुत्र होना अस्वीकार किया है ना कि गोरे को दुर्गा का पुत्र होना अस्वीकार किया है, द्वितीय अगर गोरे को दुर्गा का पुत्र होना माना जाता है तो उससे दूसरे अन्य वादीगण ही प्रभावित होते है । गोरे की वल्दियत बाबत् केवल वादीगण ही उज्र ले सकते है क्योंकि वादीगण का ही हित प्रभावित होता है । प्रतिवादी ने वादी संख्या 2 लगायत 4 की वल्दियत पर कोई आपत्ति नहीं की है जबकि उनकी भी वल्दियत दुर्गा ही है । प्रकरण में गोरे की वल्दियत के बिन्दु से संबंधित तनकी भी कायम नहीं हुई है । उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 मय कोस्ट 50/–रू0 खारिज किया जाता है ।

निगराकार प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी दरख्वास्त में जिस दावे प्र0क0 28/2003 का कथन किया है उसके अवलोकन से जाहिर होता है कि दावे की मद संख्या 3 में सजरा अंकित है जिसमें गौरेलाल (प्रतिवादी संख्या 1) के पिता का नाम दुर्गा ही लिखा गया है जिससे स्वंय प्रार्थी निगराकार के कथन की पुष्टि नहीं होती है । जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी द्वारा दिनांक 13.11.2003 को निगराकार का प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/77/2004/धौलपुर** **नहने बनाम गोरे**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) जा0दी0 उचित रूप से खारिज किया गया है । 9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–11–2003 यथावत् रखा जाता है। 10– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	